

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर 30प्र०।

(स्था० अराज० अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, 30 प्र० [REDACTED]।

अवगत कराना है कि आपके अधीनस्थ विभिन्न खण्ड कार्यालयों हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके भुगतान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय पर समय से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र विलम्ब से उपलब्ध कराये जाने की दशा में सेवा प्रदाता को भुगतान समय से नहीं हो पाता है। इस हेतु विभाग द्वारा Outsourced vehicle module नाम से वेबसाइट विकसित किया गया है। यह विभागीय वेबसाइट <https://www.comtax.up.nic.in> की Departmental Service की हैडिंग में उपलब्ध है। माड्यूल में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने E.I.S. के Login Id एवं Password से Login करने के पश्चात उनको आवंटित आउटसोर्सिंग वाहन का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे सेवा प्रदाता को समय से भुगतान किया जा सके।

अतः अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि उनको आवंटित आउटसोर्सिंग वाहनों की सूचना उक्त विभागीय माड्यूल पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं माह जुलाई- 2018, अगस्त-2018 एवं सितम्बर-2018 की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 10-10-18 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जुलाई- 2018, अगस्त-2018 एवं सितम्बर-2018 का भुगतान किया जा सके।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्र०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आईटी) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

hsc
05/10/18
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।